



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2012/श्रावण 17, 1934

No. 401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2012/SHRAVANA 17, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 अगस्त, 2012

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2012

सा.का.नि. 623(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई तालिका के क्रम सं. 1-5 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 1-4-2012 से 31-3-2014 तक रक्षा सेवाओं की ओर से पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है :—

G.S.R. 623(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-5 on the Table below to be trustees on the Board of Port Trust from Defence Services from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notify the same :—

TABLE

क्र. सं.	पत्तन का नाम	प्रतिनिधि
1.	मुम्बई पत्तन न्यास	प्रभारी नौसेना अधिकारी (महाराष्ट्र)
2.	चेन्नै पत्तन न्यास	प्रभारी नौसेना अधिकारी (तमिलनाडु)
3.	कोचीन पत्तन न्यास	प्रभारी नौसेना अधिकारी (केरल)
4.	कांडला पत्तन न्यास	प्रभारी नौसेना अधिकारी (गुजरात)
5.	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	प्रभारी नौसेना अधिकारी (आंध्र प्रदेश)

[फा. सं. एलबी-11013/5/2012-एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

Sl.No.	Name of the Port	Representative
1.	Mumbai Port Trust	Naval Officer in-Charge (Maharashtra)
2.	Chennai Port Trust	Naval Officer in-Charge (Tamil Nadu)
3.	Cochin Port Trust	Naval Officer in-Charge (Kerala)
4.	Kandla Port Trust	Naval Officer in-Charge (Gujarat)
5.	Visakhapatnam Port Trust	Naval Officer in-Charge (Andhra Pradesh)

[F.No. LB-11013/5/2012-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.